रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 1986/वैशाख 10, 1908
No. 159] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 1986/VAISAKHA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 1986

अधिसूचना

का.आ.सं. 217(अ):—इंडियन बापटिस्ट सोसाइटी (जो इंडियन बापटिस्ट मिशन के नाम से भी ज्ञात है) 383, अपर पैलेस आरकेड्स, बंगलौर, कर्नाटक विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राजिस्ट्रीकृत संगम है जिसका राजिष्ट्रीकरण सख्या—094420254 तारीख 29 मार्च, 1985 है ;

उक्त संगम केन्द्रीय सरकार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन यह सूचना देने में सफल रहा है कि उसने कितना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है, ऐसा विदेशी अभिदाय किस स्रोत से

और किस रीति से प्राप्त किया है तथा उसने ऐसे विदेशी अभिदाय का वर्ष 1985 के दौरान किन प्रयोजनों के लिए और किस रीति से प्रयोग किया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त उपधारा के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त संगम (जिसके अंतर्गत उसकी शाखायें और यूनिट भी हैं), इस अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुज्ञा के बिना कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा।

[सं. II/21022/112(1)/85-एफ.सी.आर.ए. (एम-2)]

अरुण कुमार, सयुक्त सचिव (एफ)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th April, 1986

NOTIFICATION

S.O. 217(E).—Whereas the Indian Baptist Society (also known as Indian Bapist Mission) 383 Upper Palace Orchards, Bangalore, Karnataka is an association registered under Sub-section (1) of Section 6 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) vide Registration Number 094420254 dated the 29th March, 1985 ;

Whereas the said association has failed to give within the prescribed time and in the prescribed manner any intimation to the Central Government under Sub-section (1) of Section 6 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 as to the amount of each foreign contribution received by it, the source from which and the manner in which such foreign contribution was received and the purpose for which and the manner in which such foreign contribution was utilised by it during the year 1985 ;

Now, therefore in exercise of the power conferred by the proviso to the said sub-section, the Central Government hereby directs that the said association (including its branches and units) shall not, after the date of issue of this Notification, accept any foreign contribution with the prior permission of the Central Government.

[No. II/21022/112(1)/85-FCRA (M 2)]

ARUN KUMAR, Jt. Secy. (F)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986